न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी,प्रथम श्रेणी,दाउदनगर,
जिला–औरंगाबाद।
हसपुरा थाना कांड संख्या I–50 / 2021
जी0आर0संख्या I–230 / 21

26–03–21 काराधीन आवेदक अभियुक्त मनोहर कुमार रवि उर्फ मनोहर राज की ओर से विद्वान अधिवक्ता वकालतनामा और जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल करते हैं।

पुकार पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक अभियुक्त उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त पर सूचक झूठा एवं बनावटी केस किया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–17–03–21 से न्यायिक हिरासत में हैं। आवेदक अभियुक्त पर फरेवी और धोखाधड़ी का आरोप है जो सरासर झूठ है। अतः आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा करें।

विद्वान अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के खिलाफ भा0दं0वि0 की धारा 406,420 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि सूचक दिनांक 05–10–2020 को हसपुरा बाजार आया था जहॉ उसकी मुलाकात मनोहर कुमार रवि उर्फ मनोहर राज से हुई उसने बातचीत के कम में कल्याण विभाग में नौकरी देने के नाम पर नब्बे हजार रुपया हसपुरा स्थित आवास पर दिनांक 10–10–2020 को दिया और एक इकरारनामा बनाया जिसमें गांव का नाम रफीगंज लिख दिया। सूचक कुछ दिनों के बाद नौकरी लगने तथा पैसा के संबंध बात करने लगा तो अभियुक्त आज कल कहकर टालमटोल करने लगा। सूचक को पता चला कि अभियुक्त एक फरेवी है और नौकरी ,इंदिरा आवास दिलाने,मनरेगा का पैसा दिलवाने, राशन कार्ड बनवाने के नाम झूठ बोलकर टहला रहा है। कई आदमियों से इकरारनामा करके हजारों रुपया का धोखा धड़ी किया है। यह एक गंभीर किस्म का अपराध है। वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त मनोहर कुमार रवि उर्फ मनोहर राज का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

न्या0दण्डा,प्रथम श्रेणी
दाउदनगर